

अंतिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई
(ओ.20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

इज अदालत उपखण्ड अधिकारी महोदय मुकाम रामगढ शेखावाटी, सीकर

व अलजाम श्रीमति रेणू मीणा (आर ए एस)

1. भंवरी बानो पुत्री महमद अली जाति कायमखानी निवासी रोहल तहसील रामगढ जिला सीकर राजस्थान हाल पत्नी भंवरूखां जाति कायमखानी निवासी चुरू तहसील व जिला चुरू।
2. सलमा बानो पुत्री महमद अली जाति कायमखानी निवासी रोहल तहसील रामगढ जिला सीकर राजस्थान हाल पत्नी नजीरखां जाति कायमखानी निवासी जाजोद तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर राजस्थान।(मृत)
- 2(क). सरदार खां
- 2(ख). शोकत खां पुत्रगण सलमा बानो व नजीर खां जाति कायमखानी निवासी ग्राम जाजोद तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर राजस्थान।

.....वादीगण

बनाम

1. आमीन खां पुत्र मांगू खां जाति कायमखानी निवासी साहबसर तहसील रामगढ जिला सीकर (राज.)।
2. अलियास खां पुत्र ताजू खां जाति कायमखानी निवासी रोहल तहसील रामगढ जिला सीकर राजस्थान।
3. हल्का पटवारी पटवार हल्का रोहल तहसील रामगढ-शेखावाटी जिला सीकर।
4. तहसीलदार महोदय रामगढ तहसील-रामगढ शेखावाटी जिला सीकर राज0।
5. तहसीलदार फतेहपुर भूमि धारक तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान।
5. जिला कलक्टर महोदय जिला सीकर राज0।

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा/स्थाई निषेधाज्ञा व संशोधन खाता

मुकदमा नम्बर - 153/13 सन् 2013

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्रीमति रेणू मीणा (आर. ए. एस.) व हाजरी एवं मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वादीगण का वाद साबित नही होता है। अतः वादीगण का वाद बाबत उद्घोषणा/स्थाई निषेधाज्ञा व संशोधन खाता इस न्यायालय मे चलने योग्य नही होने से खारिज फरमाया जाता है। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

निजीX..... मुबलिकX.....बाबत
Xखर्चा इस मुकद्दमें का मय सूद वगैरह Xफीसदी
सालाना आज की तारीख वसूलिया वितक..... Xको अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 07.07.2018 सन् 2018 को
जारी किया गया।

17/7/2018

	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
अर्जी दावा	06.00	00	स्टाम्प अर्जी दावा		
वकालत नामा	01.00	00	स्टाम्प वकालत नामा	01.00	00
बजह सबूत			स्टाम्प बजह सबूत		
हुक्मनामा वकील			महन्तनामा वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक	02.00	00	मुतफरिक		
मीशान	09.00	00	मीजान	01.00	

नोट:- इसी खर्चा फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना



उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ शेखावाटी